

पत्रांक 1846/364  
सेवा में,

दिनांक रानीखेत 01/09/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय :-** मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/34843/2018)

**सन्दर्भ :-** उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1881/X-3-20/1(205)/2020 दिनांक 21.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु के निर्माण हेतु 0.597 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन निम्नानुसार कर लिया गया है :-

| क्र.सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5160/12-1(2) दिनांक 17.03.2021 के अनुपालन में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु रु 133100.00 की धनराशि दिनांक 16.02.2022 को जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-2 4)                                                                     |
| 2       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5160/12-1(2) दिनांक 17.03.2021 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित रु 392229.00 की धनराशि दिनांक 16.02.2022 को जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-2 4)                                                       |
| 3       | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि समक्ष स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-3)                                                                                                              |
| 4       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् की निर्गत स्वीकृति मान्य होगी। | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में एन.पी.वी. तथा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु कुल रु 525329.00 की धनराशि ऑन लाईन चालान जनरेट कर दिनांक 16.02.2022 को उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की जा चुकी है। ऑन लाईन पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-4) |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक- 5, 6) |
| 6  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।                             |
| 7  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रस्ताव में निहित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।                                                                                                                 |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | सेतु निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा।                                                                  |
| 9  | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                  | उक्त परियोजना से कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।                                                                                                                |
| 10 | उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।                                                                                                                    |

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर सेतु के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक - 1 दि 05 वरु (05 जून 2015)

(ललित कुमार गौयल)  
अधिशायी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत।

पत्रांक

/ 36सी.

तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि खण्डीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत



संख्या: 1881/X-3-20/1(205)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,  
सचिव (प्रभारी),  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 21 जनवरी, 2021

विषय: मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-854/FP/UK/ROAD/34843/2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईडा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य लम्बाई 72.00 मी0 0.597 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की

क्रमशः .....2

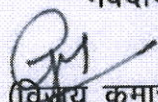
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
रानीखेत



छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

  
(बिरेन्द्र कुमार यादव)  
सचिव (प्रभारी)।

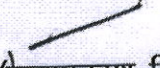
संख्या: — (1)/X-3-20/1(205)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

*photo copy attached*  
*by*  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
रानीखेत

आज्ञा से,

  
(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।



(समाज 2)  
वन अधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 5160 / R-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 17-3-2021

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि०,  
रानीखेत।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार नदी पर 72 मीटर विस्तार मोटर मार्ग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रस्ताव सं० 38843/2018)

संदर्भ - आपका पत्रांक 547/36सी० दिनांक 04.03.2021।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | मद                                                       | ईकाई                                   | दर                  | जमा की जाने वाली धनराशि |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1       | एन०पी०वी०                                                | 0.597 हे०<br>इको क्लास- 5<br>घनत्व-0.1 | 657000.00 प्रति हे० | 392229.00               |
| 2       | क्षतिपूरक वृक्षारोपण                                     | —                                      | —                   | —                       |
| 3       | परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना | —                                      | —                   | —                       |
| 4       | प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना             | —                                      | —                   | —                       |
| 5       | न्यूनतम 100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना                  | 100 वृक्ष                              | 1331.00             | 133100.00               |

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार अन्य शर्तों का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

11/48/36/11/14/03/21

वनभूमि सहायक/अमीन

कृ० उक्त मोटर मार्ग का NPV

एवं वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग हेतु पत्र प्रेषित करें।

AGJ 30.03.21

Maht

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

new copy attached

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

LT File/Land transfer letter 2021

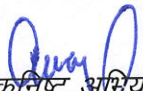


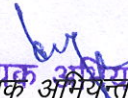
परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (लम्बाई 72.00 मी.) (0.597है0)

एन0 पी0 वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी। यदि भविष्य में उक्त धनराशि में बढ़ोतरी हुई तो याचक विभाग धनराशि जमा करने में सहमत है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

  
अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत (अल्मोड़ा)



# Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help

| Sno. | Proposal Detail                                                                                                                    | Application_No   | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)                                                                                                                                                                                                         | Payment Status                           | Payment Detail                                                                                                                                                                                         | Demand Letter                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FP/UK/ROAD/18882/2016<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18882/2016)<br>Tilmilona Aarusari Virot<br>Bhenitola Talayi Motor Road. | ROAD188822016775 | 6118882775           | 22 Dec 2020          | CA: 0/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 620865/-<br>Other Charges1: 0/-<br>Other Charges2: 0/-<br>Other Charges3: 0/-<br>Total: 753965/-<br>Addl CA: 0/-<br>CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>Plantation scheme of 133100/- trees : 10 times | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by 08 Mar 2022<br>Nodal Officer<br>On Bank Name Union Bank Of India<br>Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated 12 Mar 2022<br>On Transaction 31 Mar 2022<br>Date | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/070320221333086042_FPUKROAD188822016_User_Fund_Demanded_894H3.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD188822016775) |
| 2    | FP/UK/ROAD/39247/2019<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39247/2019)<br>Construction of Era Jorasi motor road                    | ROAD392472019693 | 6139247693           | 21 Jun 2021          | CA: 0/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 635648/-<br>Other Charges1: 0/-<br>Other Charges2: 0/-<br>Other Charges3: 0/-<br>Total: 782048/-<br>Addl CA: 0/-<br>CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>plantatation of 100 trees : 146400/-           | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by 19 Feb 2022<br>Nodal Officer<br>On Bank Name Union Bank Of India<br>Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated 21 Feb 2022<br>On Transaction 21 Feb 2022<br>Date | Demand Letter<br>(./writereaddata/Fundpdf/160220221241546767_FPUKROAD392472019_User_Fund_Demanded_54809.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD392472019693) |

Photo to copy attached

सहायक अभियन्ता  
पान्तीय खण्ड लोनिवि  
समीक्षा

(समीक्षा - 04)



|   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | FP/UK/ROAD/21140/2016<br>(../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/21140/2016)<br>Sahid Hari Singh Tuolbudhand<br>to Ratkhali Motor Road<br>Sanction Under CM Ghosana<br>no. 492/201 | ROAD211402016526612114052629 Sep 2020 | CA:<br>pCA: 1699407/- Addl CA : 0/-<br>Safety CAT : 0/-<br>Zone: Addl PA : 0/-<br>NPV: 1655640/- Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3355047/-                   | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by : 16 Oct 2021<br>Nodal Officer :<br>On :<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 29 Oct 2021<br>Transaction Date : 16 Feb 2022 | Demand Letter<br>(../writereaddata/Fundpdf/131020211324170925_FPUKROAD211402016_User_Fund_Demanded_46194.pdf)<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD211402016526) |
| 4 | FP/UK/ROAD/34843/2018<br>(../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/34843/2018)<br>Construction of 72 m span<br>motor bridge over River Kosi in<br>Era Jorasi Motor Road.             | ROAD348432018109613484310921 Jan 2021 | CA:<br>pCA: 0/-, Addl CA : 0/-<br>Safety CAT : 0/-<br>Zone: Addl PA : 0/-<br>NPV: 392229/-, plantation scheme for 133100/- of 100 trees<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 525329/- | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by : 16 Oct 2021<br>Nodal Officer :<br>On :<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 01 Dec 2021<br>Transaction Date : 16 Feb 2022 | Demand Letter<br>(../writereaddata/Fundpdf/131020211314186472_FPUKROAD348432018_User_Fund_Demanded_41249.pdf)<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD348432018109) |
| 5 | FP/UK/ROAD/10159/2015<br>(../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/10159/2015)<br>Construction of Kuloli Mumra<br>Devikhal Motor Road                                                | ROAD101592015203611015920330 Dec 2016 | CA:<br>pCA: 1794603/- Addl CA : 0/-<br>Safety CAT : 0/-<br>Zone: Addl PA : 0/-<br>NPV: 2115540/- Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3910143/-                   | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by : 02 Mar 2019<br>Nodal Officer :<br>On :<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 03 Mar 2019<br>Transaction Date : 12 Mar 2019    | Demand Letter<br>(../writereaddata/Fundpdf/211231258121023TETSCAN0002a.pdf)<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD101592015203)                               |

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लोनिवि  
राजीव



परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी विस्तार मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (लम्बाई 72.00 मी.) (0.597है0)

भू-वैज्ञानिक/जिला टाँस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/ जिला टाँस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत (अल्मोड़ा)